

24.7.23

बार-बार आवाज दिलवाने के बाद भी न
ले अपीलॉट न ही अपीलॉट अधिकार
उपस्थित हुं। पत्रावली अदम एजरी अदम
पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली
कैसल शुमा की फार नंबर से कम की
जावे। बाद आका दायिल दफ्तर हो।



(सुप्रसन्न अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.))